अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.-12/2012-13

बोंगा सिंगराय सुण्डी।
बनाम
रामाय सुण्डी एवं अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक–06.02.2013 को वादी बोंगा सिंगराय सुण्डी, पिता– स्व० जामबीरा हो, निवासी ग्राम– नरसण्डा, पो०– नरसण्डा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित खाता संख्या–278, रकवा– 7.55 एकड़, मौजा– नरसण्डा भूमि का Portition के लिए प्रतिवादी रामय सुण्डी, पिता– बिरसिंग हो एवं 02 अन्य निवासी ग्राम– नरसण्डा, पो०– नरसण्डा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध Kolhan Title (Partition) Suit दाखिल किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी पक्ष की और से कोई पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया। नोटिस का तामिला अंचल से प्राप्त है। परन्तु सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादीगण या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरूचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default)किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

24.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

24.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.11.21 16:00:32 +05:30
Location: 10.93.66.36

Scanned with CamScanner